

CORRIGER SHEET

Order or Proceeding No. 317/11 Date 20/01/2016 Signature of Parties of Pleaders where Necessary

आज आरक्षी केन्द्र 21/12/11 के उपनिरीक्षक / प्रधान मि. अरक्षक / आरक्षक की ओर से अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री उप0

अभियुक्त / अभियुक्तगण जसवीर सिंह 5/10 हनुमानगढ़

शाना 21/12/11 निवासी / निवासगण 21/12/11 राज्य राज्य से अधिकता

उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण 21/12/11 द्वारा गोपुरगढ़ / तकालानागा प्रस्तुत

किया। 21/12/11 द्वारा गोपुरगढ़ / तकालानागा प्रस्तुत

अभियुक्त / अभियुक्तगण 21/12/11 द्वारा गोपुरगढ़ / तकालानागा प्रस्तुत

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार

आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द0प्र0सी0 के अधीन संज्ञान दिए जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपूर्ति के तहत भेजा जाये।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सी0 के धारा 207 के अधीन प्राक्धान के प्रकाश में अभियोग पत्र पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निशुल्क दिलाए

गये।

21/12/11

वृत्ति मागला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण के
किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के
धारा 301 भा0द0सं0 / की विशिष्टिया विरचित कर अभियुक्त
अधिनियम के अधीन अपराध की समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध
को पढ़कर सुनाये और स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके
करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके
शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की
स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से दत्तित
कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया।
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय
अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये
के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम
की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण
कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली
जाये।


जप्तसुदा संपत्ति 27 रुपये राजसात
विन्ने जायें। रांपत्ति 27 मूल्यहीन होने से नष्ट कर
व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित
अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रविष्टि उपरांत
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि
500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक
क0 6887 रसीद क0 63 दी गई।
अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।


A. K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)